

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधशासी अभयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड घनसाली, टिहरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी कसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधशासी अभयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड घनसाली, टिहरी के माह 11/2016 से 09/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री गौरव पन्त, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 12/10/2017 से 27.10.2017 तक श्री ए.सी. कटियार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मक:- इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री रवन्द्र कुमार एवं श्री अरवन्द शर्मा, स.ले.प.अ. श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 07/11/2016 से 19/11/2016 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2014 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2016/से 09/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:- ग्रामीण निर्माण वभाग का कार्य यह है कि वह भूखण्ड वभागों के निर्माण कार्य डिपॉजिट कार्य के रूप में सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, टिहरी के ब्लाक, भलंगना, जाखनीधार, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, पूर्ण।

(इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रयाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाय)

(II) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राश/अवशेष	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2014-15	-	745.78	115.98	115.98	383.57	677.28	00	452.07
2015-16	-	452.07	115.43	97.57	619.38	543.88	17.86	527.57
2016-17	-	527.57	141.62	128.65	461.60	519.48	12.97	469.69
2017-18	-	469.69	166.53	64.10	187.62	161.13	102.43	496.18

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय आ धक्य (+)	बचत (-)
शून्य					

(यदि लेखापरीक्षा अव ध तीन वर्ष से अ धक हो तो सम्पूर्ण अव ध का बजट आवंटन एवं व्यय ववरण अं क्त कया जाय)

(iii) इकाई को बजट आवंटन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना को सम्मिलित करते हुये इकाई A श्रेणी की है।

इकाई का संगठनात्मक ढांचा:- (संगठनात्मक ढांचा स चव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रद र्शित कया जाय)

1. स चव, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड शासन तकनीकी संवर्ग मे:-

2. मुख्य अ भयंता स्तर-1 (वभागाध्यक्ष) 3. मुख्य अ भयंता, स्तर-2 4. अधीक्षण अ भयंता 5. अ धशासी अ भयंता 6. सहायक अ भयंता 7. कनिष्क अ भयंता.

गैर तकनीकी संवर्ग मे:-

1. वत्त नियंत्रक 2. खंडीय लेखाकार 3. सहायक लेखा धकारी 4. प्रशासनिक अ धकारी 5. लेखाकार 6. प्रधान सहायक 7. वरिष्ठ सहायक 8. कनिष्क सहायक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व ध: लेखापरीक्षा में अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड घनसाली, टिहरी को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड घनसाली, टिहरी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। 03/2017 को वस्तुतः जांच हेतु चयनित कया गया। अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड घनसाली, टिहरी का वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत कये गये व्यय अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड घनसाली, टिहरी के आधार पर कया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक 24/04/2017 से 26/04/17 का निरीक्षण कया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह..... स्टॉक शून्य है..... तथातक की गई।

4. फार्म 51: माह 09/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैं:- (धनराशरु में)।

भाग प्रथम (-)4362507

भाग द्वितीय 1510984

5. खण्ड के उच्चत लेखों के अवशेष माह 09/2017 के अन्त में (धनराशरु में)

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रम शून्य

(ख) सामग्री क्रय शून्य

(ग) नगद परिशोधन शून्य

(घ) निक्षेप 496.18 लाख

(ङ) भण्डार शून्य

भाग दो (अ)

प्रस्तर-1 प्रतिधारक दीवारों (Retaining Walls) के निर्माण में आई आर सी एसपी:48-पहाड़ी मार्ग मैनुअल (IRC SP:48-Hill Road Manual) की व शष्टियों एवं ड्रॉइंग्स के वपरीत कार्य निष्पादन के परिणामस्वरूप ` 19.38 लाख की धनराश का अपरिहार्य (Avoidable) व्यय।

कार्यालय अधशासी अभयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड घनसाली के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि फरवरी 2014 में प्रमुख अभयंता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 216/10 अधप्राप्ति/13/ दिनांक-12.02.14 के द्वारा प्रतिधारक दीवारों (Retaining Walls) की व शष्टियां एवं ड्रॉइंग्स आई आर सी एस पी:48-पहाड़ी मार्ग मैनुअल (IRC SP:48-Hill Road Manual) के प्रावधानों के आधार पर जारी करते हुए इन व शष्टियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कए जाने हेतु समस्त अभयन्ताओं को निर्देशित कया गया था। उक्त कार्यालय ज्ञाप की प्रति मुख्य अभयंता, ग्रामीण अभयंत्रण सेवा वभाग, देहरादून को भी अनुपालनार्थ प्रेषित की गयी थी।

उक्त के अनुपालन में मुख्य अभयंता, ग्रामीण अभयंत्रण सेवा वभाग, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा पत्रांक-2501/ ग्रा.अ.भ.से. 2013-14 दिनांक-22.02.2014 के द्वारा प्रमुख अभयंता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखंड, देहरादून द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप के आधार पर जारी की गयी व शष्टियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कए जाने हेतु ग्रामीण अभयंत्रण सेवा वभाग उत्तराखंड के समस्त अधीक्षण अभयन्ताओं को निर्देशित कया गया था एवं उक्त पत्र की प्रतिलप समस्त अधशासी अभयन्ताओं, ग्रामीण अभयंत्रण सेवा वभाग उत्तराखंड को इस निर्देश के साथ प्रेषित की गयी थी उक्त व शष्टियां एवं ड्रॉइंग्स अपने-अपने अधीक्षण अभयन्ताओं से प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उक्त कार्यालय ज्ञाप में जारी व शष्टियों के अनुसार 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों (Retaining Walls) को आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) के द्वारा निर्माण कराया जाना था, 04 से 08 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों (Retaining Walls) को आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6 सीमेंट मेसनरी बेण्ड्स (RR dry stone masonry as per drawing number 02/RW/2014) के द्वारा निर्माण कराया जाना था एवं आठ मीटर से अधिक ऊंचाई की प्रतिधारक दीवारों के निर्माण से बचा जाना चाहिए परंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में इनको सीढ़ीनुमा 1:5 सीमेंट एवं सैंड मोर्टार में ड्राइंग 03/RW/2014 (As per drawing number 03/RW/2014) के अनुसार निर्मित कराया जाना चाहिए।

जबकि अधशासी अभयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड घनसाली कार्यालय के अंतर्गत ग्रामीण मोटर मार्ग एवं ड्रेनेज के अंतर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की अवधि में

स्वीकृत निर्माण कार्यों के निष्पादन से संबन्धित अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि (Annexure 'A') के अनुसार प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण मोटर मार्गों के निर्माण में 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों का 1498.67 घन मीटर मात्रा में उक्त कार्यालय ज्ञापन में जारी व शष्टियों के वपरीत आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) के स्थान पर आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6/1:5 सीमेंट मोर्टार मेसनरी में निष्पादित कराये जाते हुए ₹ 44.85 लाख की धनराश व्यय की गयी। जब कि 04 मीटर तक की ऊंचाई की प्रतिधारक दीवारों का निष्पादन यदि उक्त कार्यालय ज्ञापन में आर सी एसपी:48-पहाड़ी मार्ग मैनुअल के आधार पर जारी व शष्टियों के अनुरूप आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) में निष्पादित कराया जाता तो उक्त निर्माण कार्यों के निष्पादन पर ₹ 25.47 लाख की धनराश ही व्यय करनी पड़ती। इस प्रकार प्रखण्ड स्तर पर 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों को उक्त कार्यालय ज्ञापन में जारी व शष्टियों के वपरीत आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6/1:5 सीमेंट मेसनरी में निष्पादित कराये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 19.38 लाख की धनराश का अपरिहार्य व्यय (Avoidable Expenditure) कया गया।

उक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगत कए जाने पर अधशासी अभ्यंता, ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड घनसाली द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों का निर्माण आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) के स्थान पर आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6/1:5 सीमेंट मोर्टार मेसनरी में निष्पादित कराया गया परंतु भवष्य में आई आर सी एसपी:48-पहाड़ी मार्ग मैनुअल के आधार पर वभागाध्यक्ष द्वारा जारी व शष्टियों के अनुरूप निर्माण कार्य कराया जाना यथासंभव सुनिश्चित कया जाएगा तथा उक्त प्रकरण में 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों का निर्माण आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) के स्थान पर आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6 सीमेंट मोर्टार मेसनरी में निष्पादित कराये जाने के पूर्व वभागाध्यक्ष स्तर से पूर्वानुमति प्राप्त कए जाने के संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण में वभागाध्यक्ष स्तर से पूर्वानुमति नहीं प्राप्त की जा सकी परंतु भवष्य में स्थलीय आवश्यकता होने पर सक्षम प्राधिकारी से पूर्वानुमति लया जाना सुनिश्चित कया जाएगा।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रखण्ड स्तर पर वभागाध्यक्ष स्तर से आई आर सी एसपी:48-पहाड़ी मार्ग मैनुअल के आधार पर जारी व शष्टियों के अनुरूप न तो निर्माण कार्य ही निष्पादित कराये गए एवं न ही उक्त प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी से पूर्वानुमति ही प्राप्त की गयी। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 19.38 लाख की धनराश का अपरिहार्य व्यय (Avoidable Expenditure) हुआ।

अतः प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण मोटर मार्गों के निर्माण में 19.38 लाख की धनराश के अपरिहार्य (Avoidable) व्यय का प्रकरण शासन संज्ञान में लाया जाता है।

Annexure-‘A’

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sl. No	Name of the Road	Bond No, Date and Amount (in lakh)	Bonded Quantity of RR Stone Masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar (in Cum)	Executed Quantity of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar (in Cum)	Aggremented rate of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar / Per Cum	Expenditure incurred on execution of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar	Aggrem ented rate of RR dry stone masonry Per Cum	Amount if quantities executed in RR Stone Masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar had been executed in RR dry stone masonry	Difference of rates between RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar and RR dry stone masonry (Column 7- Column 9)
1	Akhodi gaon Km.27 to Chauri gaon to Dubdi motor road	WO No. 44/ 27.01.16	96.30	96.00	2969.17	2,85,040.17	1537.00	1,47,552.00	1,37,488.17
		WO No. 46/ 5.02.16	96.30	96.23	2969.17	2,85,723.22	1537.00	1,47,905.51	1,37,817.71
		WO No. 47/14.02.16	96.30	95.80	2969.17	2,84,446.48	1537.00	1,47,244.60	1,37,201.88
		WO No. 48/ 23.02.16	62.46	62.40	2969.17	1,85,276.20	1537.00	95,908.80	89,367.40
		WO No. 49/ 02.03.16	62.47	63.24	2969.17	1,87,770.31	1537.00	97,199.88	90,570.43
2	Palethi Hindolakhhal Km. 01 to Aam Gauri Gadakot motor road	WO No. 17/ 15.03.16	54.32	54.32	2936.50	1,59,510.68	1477.30	80,246.94	79,263.74
		WO No. 18/ 25.03.16	55.91	55.91	2936.50	1,64,179.72	1477.30	82,595.84	81,583.88
		WO No. 19/ 04.04.16	27.49	27.49	2936.50	80,724.00	1477.30	40,610.98	40,113.02
		WO No. 27/ 12.06.16	30.48	30.48	2936.50	89,504.52	1477.30	45,028.10	44,476.42
		WO No. 30/ 22.07.16	65.22	65.22	2936.50	1,91,518.53	1477.30	96,349.51	95,169.02
3	Badiyaargar h Saurakhhal motor road Km. 09 Kumaliyakhhal	32/EE/RWD/16-17 09.12.16 `10.86	166.75	121.28	2978.80	3,61,268.86	1495.80	1,81,410.62	1,79,858.24
		37/EE/RWD/16-17 9.12.16 `12.18	51.37	48.97	2978.80	1,45,871.83	1495.80	73,249.33	72,622.50
4	Masak Dhar to Bajinga Motor Road	06/EE/RWD/15-16 4.04.16 `24.59	21.60	237.56	3044.20	7,23,180.15	1934.80	4,59,631.09	2,63,549.06
		07/EE/RWD/15-16 4.04.16 `20.58	80.73	174.20	3044.20	5,30,299.64	1934.80	3,37,042.16	1,93,257.48
		08/EE/RWD/15-16 4.04.16 `22.73	35.88	169.48	3044.20	5,15,931.02	1934.80	3,27,909.90	1,88,021.12
5	GTP Motor Road to Daang Tonk to Pipola Motor Road	12/EE/2016-17 4.08.16 `16.95	22.40	19.50	2942.00	57,369.00	1870.50	36,474.75	20,894.25
		13/EE/2016-17 4.08.16 `16.95	80.65	80.59	2942.00	2,37,095.78	1870.50	1,50,743.60	86,352.18
Total			1106.63	1498.67		44,84,710.11		25,47,103.61	19,37,606.50

भाग दो (ब)

प्रस्तर-1 ₹ 38.77 लाख धनराश नियमों के वरूद्ध व्यय करने का प्रकरण।

खण्ड की लेखापरीक्षा में पाया गया कि निम्न लखत धनराशियाँ कार्यों के सापेक्ष ऋणात्मक दर्शायी गयी हैं अर्थात् उपलब्ध धनराश से अधिक व्यय किया गया है। जबकि वृत्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 6 के नियम 580 के अनुसार जब तक धनराश उपलब्ध न हो तो व्यय नहीं किया जाना चाहिए यदि अधिक व्यय हो जाये तो वभाग के वरूद्ध व वध अग्रम डाल कर वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए। परंतु वर्ष 2010 से 2015 के मध्य से वर्तमान तक की अवधि में निम्न धनराशियों की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	आइटम संख्या/ माह वर्ष	अधिक व्यय ₹ लाख में
1.	राजकीय जू०हा० स्कूल रौसाल के उच्चकृत भवन का निर्माण	3/माह 12/2010	478922
2.	रा.इ.का. धाती बुडाकेदार में प्रयोगशाला का निर्माण।	7/माह 6/2011	10297
3.	रा.इ.का. भेतीधार में प्रयोगशाला का निर्माण।	8/माह 6/2011	27147
4.	रा.जू.हा. स्कूल भवन कफलोग में कक्षा कक्ष	13/माह 12/2011	299504
5.	रा.इ.का. करेथ केयर भलंगना में कक्षा कक्ष का निर्माण	16/माह 12/2012	6348
6.	रा.उ.मा. व निवाल गाँव भलंगना में प्रयोगशाला का निर्माण	18/माह 12/2012	8671
7.	रा.उ.मा. व कांगड़ा व खण्ड भलंगना भवन का निर्माण	25/माह 04/2013	502113
8.	रा.उ.मा. व कोठियादा व खण्ड भलंगना भवन का निर्माण	26/माह 04/2013	560707
9.	रा.उ.मा. व होलटा व खण्ड भलंगना भवन का निर्माण	27/माह 04/2013	331248
10.	रा.उ.मा. व कपरौली व खण्ड कीर्तिनगर के भवन का निर्माण	30/माह 04/2013	321090
11.	रा.इ.का. लौलबासर में कक्षा कक्ष का निर्माण	35/माह 02/2014	5910
12.	रा.उ.मा. व दोणी व खण्ड भलंगना का निर्माण	56/माह 07/2014	383337
13.	व. खण्ड कीर्तिनगर के सोरा खाल मोटर मार्ग के कमी० 09 में कुमडीखाल ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	2/माह 03/2015	942225
		योग	3877519

लेखापरीक्षा द्वारा इंगत किए जाने पर वभाग ने अपने उत्तर में बताया कि कार्य की महत्ता देखते हुये धनराश की प्रत्याशा में उपरोक्त कार्यों पर अधिक भुगतान हुआ है। धनराश प्राप्त करने के लिए वभागों से पत्राचार किया जा रहा है। राश प्राप्त होने पर समायोजन कर लिया जाएगा। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि ₹ 38.77 लाख धनराश वृत्तीय नियमों के वरूद्ध व्यय की गई है तथा 2 से 6 वर्ष तक का समय बीत गया है, परंतु वसूली नहीं हो पायी है। अतः ₹ 38.77 लाख धनराश नियमों के वरूद्ध व्यय करने के प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण संख्या	प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
05/2014-15		1,2,	2
92/2016-17		00	1,2,3,4
योग		02	05

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	अनुपालन आख्या बाद में प्रेषित की जाएगी।			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

भाग-Vआभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधशासी अभयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड घनसाली, टिहरी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:

शून्य

2. सतत् अनिय मतताए:

शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अव ध
1	श्री के. बी थ पयाल	अ धशासी अभयंता	16/08/2016 से अब तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधशासी अभयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड घनसाली, टिहरी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.